न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू, जिला जयपुर

बइजलास :– गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

राजस्व रेफरेन्स प्रकरण संख्या 357/96 पुनः दर्ज 13/2021

गणेश पुत्र भींवा जाति बैरवा (चमार) निवासी ग्राम उगरियावास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर

(प्रार्थी)

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार दूदू हाल मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. गोपाल पुत्र मांगू (फौत) कायम मुकाम

2/1 शान्ति देवी पत्नी स्व0 गोपाल जाति बैरवा, निवासी उगरियावास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

2/2 दुर्गालाल पुत्र स्व0 गोपाल जाति बैरवा, निवासी उगरियावास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

2/3 भंवरलाल पुत्र स्व0 गोपाल जाति बैरवा, निवासी उगरियावास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

2/4 सावत्री पुत्री स्व0 गोपाल जाति बैरवा, निवासी उगरियावास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

2/5 कमला पुत्री स्व0 गोपाल जाति बैरवा, निवासी उगरियावास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

2/6 ममता पुत्री स्व0 गोपाल जाति बैरवा, निवासी उगरियावास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

3. नारायण सहाय पुत्र घासीलाल जाति बुनकर (बलाई) निवासी राजीवपुरी, गोलीमार गार्डन के पास, आमेर रोड, जयपुर ।

(अप्रार्थीगण)

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 13.09.1958 खाता संख्या 462 रकबा 4 बीघा ।। बिस्वा वाके ग्राम उगरियावास</u>

निर्णय दिनांक :– 18.02.2026

यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 24.06.2014 से रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ है।

Scanned with OKEN Scanner

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है :–

अपीलांट ने यह अपील कृषि भूमि नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत की है जिसमें अप्रार्थीगण को जारी आवंटन आदेश दिनांक 13.09.1958 को चुनौती दी गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है। अपीलांट ग्राम उगरियावास तहसील दूदू हाल मौजमाबाद के खसरा नं0 462 का खातेदार सम्वत् 2011 से पूर्व से है। सेटलमेंट से पूर्व जागीर के जमाने में अपीलांट के पिता उक्त भूमि पर उपकृषक के रूप में काश्त करते थे तथा जागरीदार को लगान अदा करता है। अपीलांट के पिता की मृत्यु के पश्चात् अपीलांट उक्त भूमि पर काबिज है, परन्तु संटलमेंट के समय गलती से यह भूमि सिवायचक दर्ज हो गयी ओर भूमि का आवंटन दिनांक 13.9.1958 को अप्रार्थी संख्या 2 के नाम गलत रूप से हुआ है। गोपाल पुत्र मूलचन्द ने गलत वल्दियत गोपाल पुत्र मांगू दर्शाते हुए उक्त भूमि का आवंटन अपने नाम करवा लिया है जो गलत है और निरस्त योग्य है। अप्रार्थी नं 2 भूमि हीन व्यक्ति नहीं है। सद्भावी कृषक भी नहीं है ओर ना ही उगरियावास का निवासी है। अतः अप्रार्थी के नाम आवंटन आदेश दिनांक 13.9.58 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट ने अपील के साथ कोई भी दस्तावेज इस कारण से प्रस्तुत नहीं किया है, क्योंकि उसको रिकॉर्ड की नकले प्राप्त नहीं हुई थी। इस आशय का अपीलांट द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर–तृतीय, जयपुर से नवीन क्षेत्राधिकार निर्धारित होने के कारण इस न्यायालय को स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ। प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को उपस्थित होने के लिए पाबंद किये जाने के बावजूद अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ। पर्याप्त अवसर उपस्थित होने हेतु दिये जाने के बावजूद अप्रार्थी के उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकरतफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 2 गोपाल को विवादित आसजी खसरा नम्बर 462 का आवंटन दिनांक 13.5.1958 को किया गया है, जिसका नामान्तरकरण 05.06.1960 को अप्रार्थी को सही आवंटन कब्जे के आधार पर सही खोला गया है। ओर इस प्रकार 37 वर्ष आवंटन के पश्चात् उक्त आवंटन के विरूद्ध अपील करने का कोई औचित्य आधार नही है। यह है कि रेस्पोडंट संख्या 2 को आवंटित भूमि पर लगातार कब्जा है ओर निरन्तर कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी प्रदान की जा चुकी है। गणेश का इस विवादित भूमि से कोई ताल्लुक नहीं है। गणेश व गणेश के पिता भींवा ने उक्त भूमि को कभी काश्त नहीं की है न कोई लगान दिया व न उसके कब्जे काश्त व खातेदारी की जमीन है उक्त भूमि सिवचाय चक थी जो सन् 1958 में विधिवत अप्रार्थी गोपाल को अलॉट हुई तब से अप्रार्थी गोपाल काबिज काश्त करता है व लगान देता है व खातेदारी हक सन् 1960 में ही प्राप्त हो चुके है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की अपील खारिज फरमायी जावें।

प्रार्थी वकील के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की। प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस को सुना गया। लिखित बहस में प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र 1996 में ए.डी. एम. (द्वितीय) जयपुर के यहां प्रस्तुत किया जो सरसरी तौर पर खारिज होने उसकी अपील श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के प्रस्तुत की जो अपील प्रार्थी गणेश की स्वीकार होकर पुनः प्रार्थना पत्र 14(4) को मेरिट (तथ्यों) के आधार पर सुनकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई है। प्रार्थी ग्राम उगरियावास , तहसील मौजमाबाद का मूल निवासी है तथा विवादित आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 462 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा उसके बुजुर्गों के समय यानी जागीर के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा प्रथम सेटलमेन्ट में उक्त भूमि का प्रार्थी भींवा उप कृषक था तथा जागीरदार का लगान अदा करते आ रहे है, जिसका जागीरदार के लगान की रसीदें एवं सरकारी गिरदावरी सम्वत् 2009 से 2017 पेशी की है, जिसमें कब्जा प्रार्थी का है। आवंटन की उद्घोषणा नहीं की 2014 आर आर टी (1) 597 प्रमाणिक पुष्टि है तथा उक्त भूमि का नियमित

दत

वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तथा उसमें विपक्षीगण को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है। उक्त भूमि का पर्चा भी प्रार्थी के पिता स्व0 भींवा चमार (बैरवा) के नाम आना चाहिये पन्तु गलती से उक्त भूमि को सिवायचक करके अप्रार्थी नम्बर 2 गोपाल पुत्र मूलचन्द बैरवा निवासी पंवालिया, तहसील सांगानेर के नाम आवंटन कर दिया, गलत वल्दीयत की है। आवंटन में आवंटी गोपाल आवंटन के समय मात्र 2 का नाबालिग था। नियमानुसार नाबालिग को आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटी ग्राम उगरियावास का निवासी नहीं होकर ग्राम पंवालिया, तहसील सांगानेर का मूल निवासी है। इसलिए आवंटन के प्रारम्भ से फ्राड एवं मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। ऐसा आवंटन कभी भी निरस्त किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने 2009 आर.आर.टी.64 व 113 में यह सिद्वांत प्रतिपादित किया है, गलत तथ्यों के आधार पर कभी भी आवंटन निरस्त किया जा सकता है। आवंटी गोपाल के पिता का नाम मूलचन्द था, जिसने अपने आपको मांगू का पुत्र बनकर आवंटन कराया है। इस प्रकार वल्दीयत बदल कराया गया आवंटन फ्राड एवं मिस रिप्रजेटेशन होने के कारण माननीय राजस्व मण्डल ने नानूडा/सरकार के आवंटन को 60 वर्ष बाद खारिज किया जा सकता है। जहॉ फ्रॉड ओर मिसप्रजेंटेशन एवं **volation of Rules** हो तो आवंटन कभी भी खारिज किया जा सकता है। प्रार्थी गणेश का नियमित वाद विचाराधीन है, जो घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा है। जिसमें प्रार्थी के अधिकार तय होने है तथा प्रार्थी के पक्ष में स्थगन है। आवंटन कमेटी गठित नहीं होने से धारा 13 के अनुसार नहीं हो तो आवंटन खारिज किया जा सकता है 2018 **RBJ 84 H.C. D.B.** मैं यह तय किया कि प्रारम्भ से शून्य आवंटन को कभी भी चेलेन्ज किया

2014 (2) **RRT** 797 रामप्रसाद बनाम सरकार

2092 **RBD page 1 H.C. – Allotment obtained by Misreprating the fact.** तथ्यों को छुपाकर किया गया आवंटन कभी भी खारिज किया जा सकता है।

इस प्रकरण जहां तथ्यों को छुपाकर आवंटन प्राप्त किया यह आवंटन प्रारंभ से अवैध, प्रभावशून्य एवं आवंटन नियमों के विपरित है। इस लिए उक्त 2006 (1) आर.आर.टी. 392 में यही सिद्वांत प्रतिपादित किया है। चूंकि उक्त आवंटन जालसाजी तथा गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। इसके संबंध में कोई समयावधि निर्धारित नहीं है, 1976 आर.आर.डी. 365 पैरा सी, आर.आर.डी.1986 पेज 392 में यह सिद्वांत प्रतिपादित किया है।

आवंटी गोपाल आवंटन के समय नाबालिग था, यह पटवारी रिपोर्ट से साबित है। पटवारी की रिपोर्ट में आवंटी गोपाल की उम्र 13 वर्ष दर्शायी है। वह सांगानेर का निवासी दर्शाया है। जबकि उक्त भूमि को प्रार्थी गोपाल पुत्र भींवा जाति बैरवा ठिकाना उगरियावास के समय से ही काश्त करते थे। खसरा गिरदावरी सम्मत् 2009 से 2017 तक पेश की है। आवंटी के पिता का नाम मूलचन्द था, परन्तु आवंटी ने अपनी पिता के वल्दियत मांगू बताकर आवेदन किया गलत तथ्यों के आधार पर भी आवंटन कभी भी खारिज किया जा सकता है। जालसाजी गलत तथ्यों क आधार पर आवंटन किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। पटवारी रिपोर्ट आवंटी गोपाल को बाहर का व्यक्ति बताया है। इससे स्पष्ट है कि आवंटन शुरू से धोखाधडी एवं जालसाजी एवं कूटरचित करवाया है, जो कभी भी खारिज किया जा सकता है।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा उपलब्ध रिकॉर्ड को देखा गया। प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दलीलों एवं प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर यह जाहिर है कि भूमि आवंटन समिति की सिफारिश पर खसरा नम्बर 462 रकबा 4.11 बीघा भूमि रेस्पोडेंट नं 2 को आवंटित हुई है। उक्त आवंटन के समय अपीलांट के पिता उपस्थित थे तथा उन्होंने आराजी पर कब्जा छोडना जाहिर किया था। यह भी स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट नंबर 2 को आवंटन के समय कोई उज्र प्रस्तुत नहीं हुआ था। अतः आवंटन समिति की सिफारिश के आधार पर रेस्पोडेन्ट को आवंटन पत्र दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर

13.9.1958 जारी हुआ है। अपीलांट की यह दलील कि पटवारी रिपोर्ट में आवंटन के समय रेस्पोडेंट नं 2 की उम्र मात्र 13 वर्ष थी मानने योग्य आधार नहीं है कि किस संदर्भ में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसके अलावा उम्र के संबंध में पटवारी की रिपोर्ट को प्रमाणित आधार भी नहीं माना जा सकता। रेस्पोडेंट नम्बर 2 के अवयस्क होने के संबंध में अपीलांट द्वारा प्रमाणिक आधार जैसे पंचायत/ग्राम पंचायत की मृत्यु पंजीका अथवा वोटर लिस्ट की सत्य प्रति प्रस्तुत नहीं की है। अतः अपीलांट की दलील स्वीकार योग्य नहीं है। सेटलमेंट के समय अथवा इसके पूर्व से अपीलांट का खसरा नम्बर 462 पर कब्जा होने के आधार पर रेस्पोडेंट नं0 2 को आवंटन निरस्त करने का आधार नहीं बनता क्योंकि रेस्पोडेंट नंम्बर 2 को आवंटन सिवाय चक भूमि मानते हुए किया गया है ओर अपीलांट आवंटन के पश्चात् निरंतर आराजी खसरा नम्बर 462 पर कब्जा है जिसकी पुष्टि जमाबंदी सम्वत् 2050 से होती है। इस प्रकार रेस्पोडेंट नं 2 स्थानीय निवासी नहीं होने अन्यत्र का होने के आधार पर भी आवंटन गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नं0 2 के हक में जारी आवंटन आदेश दिनांक 13.09.1958 गलत तथ्यों पर आधारित होना सिद्ध नहीं होने के कारण अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
अति0 जिला कलक्टर
दूदू